

लीज प्रमाण- पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार की उपक्रम, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की बिजनेस प्लान योजना के तहत प्रस्तावित 220 के0वी0-सब स्टेशन, बबीना झांसी से 33/11 के0वी0 सब-स्टेशन, बबीना एम0ई0एस0 झांसी तक 33के0वी विद्युत लाइन के निर्माण के अनुक्रम में पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-26 के स्तम्भ संख्या 27+980 के पास स्थित संरक्षित वन भूमि, बबीना आरक्षित वन (डांग सरकार), पन्ती वन ब्लॉक (डांग सरकार) एवं सेंघनी वन ब्लॉक (डांग सरकार) की आरक्षित वन भूमि, लीज पर हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता नहीं है, अतः लीज अवधि प्रमाण पत्र का प्रावधान लागू नहीं होता है। प्रश्रुगत संरक्षित एवं आरक्षित वन भूमि पर केवल निम्न बिंदुओं पर अनुमति प्रदान करने की आवश्यकता है

1. प्रस्ताव के अनुसार 2.5035 हेक्टेयर संरक्षित व आरक्षित वन भूमि जो कि उपर्युक्त लिखित क्षेत्र में अवस्थित है तथा उनके गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

29-6-21
(एम. ड. कुमार)
अधिशायी अभियंता
Executive Engineer
विद्युत माध्यमिक कार्यखंड
Electricity Secondary Works Division
Jhansi
हाइडिल कॉलोनी, सिविल लाइंस
झांसी- उत्तर प्रदेश- 284001